शिवशंकरन

बनाम

सान्थिमिनल

(सिविल अपील सं– 4984–4985/2021)

13 सितंबर, 2021

[संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्तिगण।

हिंदू कानून– तलाक – क्रूरता – बाद का आचरण – निरंतर आरोप और मुकदमे की कार्यवाही –.अपरिवर्तनीय विवाह का टूटना– शादी की तारीख से लगभग 20 वर्षों अलग रहने वाले पक्षकार – अपीलार्थी/पति निचली अदालत द्वारा तलाक की मंजूरी के बाद पुनर्विवाह करना – तलाक का आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया – शादी कभी पूर्ण नहीं हुई पहले दिन से शादी कभी नहीं हुई और ना ही शारीरिक संबंध स्थापित हुआ – प्रतिवादी/पत्नी के द्वारा निरंतर केस करने का कार्य क्रूरता के बराबर थे, भले ही उन्होंने ऐसा तलाक याचिका दाखिल करने के पहले ऐसा न किया हो – उसकी आचरण ने वैवाहिक एकता का विघटन दिखाया और इस प्रकार विवाह का विघटन हो गया – मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल हो गए – तलाक न केवल संविधान के अनुच्छेद 142 अंतर्गत के अंतगर्त विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के कारण एवं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (i-a)- के अंतर्गत प्रतिवाद/पत्नी द्वारा न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के विभिन्न चरणों के दौरान उसका आचरण – विवाह अधिनियम 1955 - संविधान का अनुच्छेद 142.

हिंदू अधिनियम –तलाक – क्रूरता– मानसिक क्रूरता – पत्नी की याचिका पति के खिलाफ अदालतों में कई मामले दर्ज करना, अभि–निर्धारित ऐसा दोहराया जाना वाला है मामले दर्ज करना ही मानसिक क्रूरता के बराबर है।

हिंदू कानून-तलाक-विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन तलाक का विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन को तलाक का आधार के रूप में मानने में विधायिका की अरूचि, यद्यपि वहां समय के साथ सामाजिक मानदड़ों के बदलाव हो गया हो – उपयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने अनुठे अधिकार का प्रयोग करते हुये, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिये, तलाक को मंजूरी दी गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. विवाह का अपरिवर्तनीय रूप से टूटना तलाक के आधार।

उचित मामलों में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अनूठे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए तलाक को मंजूरी दी है। इस तरह के कियाविधि का पालन विभिन्न प्रकार के मामलों में किया जा रहा है, उदाहरण के लिए जहां पक्षों के बीच परस्पर आरोप हैं, मामले को शांत करने के लिए, पक्ष इन आरोपों को वापस ले लेते हैं और आपसी सहमति से, अदालत स्वयं तलाक देती है। ऐसे मामले भी हैं जहां पक्ष स्वीकार करते हैं कि विवाह का अपरितर्वनीय विघटन हो गया है और वे तलाक की डिक्री के लिए अनुरोध करते है। अधिक कठिन परिस्थितियों में से एक मामला यह है कि अदालत की राय में, विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन हो गया है, लेकिन केवल एक पक्ष ही इसे स्वीकार करने और तलाक का कारण के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध करना चाहता है, भले ही इसका मतलब विवाह को जारी रखना हो।

1.2. वह आधार जिसे अक्सर इस तरह के विरोध के लिए लिया जाता है कि विधायी जनादेश की अरूचि के अलावा, यह है कि विवाह की संस्था को अलग.अलग देशों में पृथक–पृथक रूप से समझा जाता है। हिंदू कानून के तहत, यह धार्मिक है, चरित्र और दो लोगों का एक शाश्वत मिलन माना जाता है। हिन्दू समाज बड़े पैमाने पर तलाक को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि यहां विवाह को एक बड़े सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। या कम से कम, तलाक की डिक्री के बाद महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति बनाए रखना कहीं अधिक कठिन है। यह, विवाह टूटने की स्थिति में महिलाओं को आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देने में कानून की विफलता के कारण अपरिवर्तनीय विघटन को तलाक का आधार मानने में विधायिका की अनिच्छा का कारण बताया गया है-भले ही यह एक कारण हो सकता है। सभी व्यक्ति एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, और इस प्रकार एक समान विधायी अधिनियम होना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस तरह के रूकावट के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।

2.1. संविधान पीठ के समक्ष संदर्भ की विचाराधीनताः

शिल्पा शैलेश बनाम o:.k में इस न्यायालय की संविधान पीठ काs आदेश दिनांक 29-06-2016 [टी. पी (C) No.1118/2014] में दो आधारों पर संदर्भित किया गया है-(a) क्या व्यापक मापदंड हो सकता है कि सहमति से विवाह को भंग करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13.बी के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना, और (b) क्या अनुच्छेद 142 के तहत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग बिल्कुल भी किया जाना चाहिए या क्या इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित करने के लिए छोड़

दिया जाना चाहिए। हालांकि, संदर्भ आपसी सहमति पर तलाक के मामलों तक ही सीमित है, और यह इस मुद्दे को उठाता है कि क्या धारा 13 बी के अंतर्गत निर्धारित अवधि अनिवार्य है।

2.2. वर्तमान मामले में तलाक की याचिका धारा 13(1)(i-a) हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दायर की गई है और किसी भी समय दोनों पक्ष आपसी आधार पर तलाक के लिए तैयार नहीं रहे हैं। वर्तमान मामले में तलाक के लिए सहमति की कमी भी एक पक्ष के बाद के आचरण से स्पष्ट है। इसलिए यह मामला संविधान पीठ को टी0पी0 (C) सं. 1118/2014 में संदर्भित प्रश्नों के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, दिनांक 29.06.2016 के संदर्भ आदेश के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस अदालत ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये तलाक स्वीकार किया है।

2.3. विवाह दो पक्षों के बीच एक बंधन है। यदि यह संबंध किसी भी परिस्थिति में काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ संदर्भित मामले के लंबित रहने के कारण ऐसे बंधन को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।

3.1. फिलहाल, वर्तमान केस में बाद में घटित विभिन्न परिस्थितियां आई है, जैसा हमने पाया है –

(क) उत्तरदाता ने अपीलार्थी के खिलाफ अदालतों में कई मामले दायर करने का काम किया है। इस तरह के मामले बार–बार दर्ज किए जाते हैं जबकि न्यायिक घोषणाओं में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसा करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

(ख) प्रत्यर्थी ने डब्ल्यू. पी. No.20407/2013 दायर कर अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए परमादेश के रिट के लिए प्रार्थना की, जो सरकारी कला महाविद्यालय, करूर में इतिहास विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम रहा था। इस रिट याचिका को 6.6.2019 को खारिज कर दिया गया था।

(ग) प्रत्यर्थी ने कॉलेज से एक आरण टीण आईण आवेदन दिनांक 3.6.2013 के माध्यम से कुछ जानकारी मांगी। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज से प्राप्त जानकारी अपर्याप्त थी और उसने एक अपील दायर की।

(घ) इसके बाद प्रत्यर्थी ने रिट याचिका संख्या 9516/2014 दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांकित 3.3.2016 के फैसले के द्वारा कहा कि प्रतिवादी ने अनावश्यक प्रश्न उठाए थे। उसके प्रश्नों से उसके पति के पुर्नविवाह के बारे में जानकारी मांगी या क्या वह किसी और के साथ रह रहा था, जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी, और इस कार्यवाही को आरण टीण आईण अधिनियम की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया।

(ई) प्रत्यर्थी ने कॉलेज के अधिकारियों से अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की मांग की – यह उन कॉलेज अधिकारियों तक ही

सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कॉलेजिएट शिक्षा निदेशक और सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (तमिलनाडु) को भी अभ्यावेदन दिया। इस प्रकार, उसने किसी तरह यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अपीलार्थी अपनी नौकरी खो दे। अपने जीवनसाथी को नौकरी से हटाने की मांग करने वाली ऐसी शिकायतें दर्ज करना मानसिक क्रूरता के बराबर माना गया है।

3.2. इसके अलावा, पहली अपीलीय अदालत के समक्ष सफल होने पर, प्रतिवादी ने अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की आई. पी. सी. की धारा 494 के तहत, भले ही उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी। उसने दूसरी शादी में शामिल होने वाले व्यक्तियों पर भी आरोप लगाने की कोशिश की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.2.2019 के आदेश के द्वारा आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

3.3. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के कार्यस्थल पर भी और अधिक उत्पीड़न करने की घटनाएँ की, जिनमें छात्रों और प्रोफेसरों के सामने अपीलार्थी का अपमान करना भी शामिल है, जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है। कहा जाता है कि उसने अपीलार्थी को उसके सहकर्मी के सामने शारीरिक नुकसान की धमकी दी थी। साक्षी संख्या–3 की गवाही के अनुसार उसने अपीलार्थी के नियोक्ता से उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की धमकी देते हुए शिकायत की। पहली अपीलीय अदालत ने किसी तरह इन घटनाओं को खारिज कर दिया क्योंकि शादी टूटने की धारणा पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी। मुख्य बात यह है कि शादी अपनी शुरुआत से ही शुरू नहीं हुई है। जहाँ पार्टियाँ लंबे समय से एक साथ नहीं रह रही हों, वहाँ शायद ही कोई 'विवाह टूट-फूट' हो सकता है। निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष एक दिन भी एक साथ नहीं रहे।

4.1. तथ्यों की बात करें तो शादी पहले दिन से कभी शुरू नहीं हुई। शादी कभी पूर्ण नहीं हुई थी और दोनों पक्ष शादी की तारीख से लगभग 20 वर्षों से अलग रह रहे हैं। अपीलार्थी ने शादी के छः साल बाद पुनर्विवाह किया, जिसमें से 5 साल निचली अदालत की कार्यवाही में बिताए गए। तलाक की डिक्री के तुरंत बाद पुर्नविवाह हुआ था। मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल रहे हैं।

4.2. उत्तरदाता के द्वारा निरंतर मुकदमा दाखिल करने का कार्य क्रूरता के बराबर होंगे, भले ही वे याचिका दाखिल करने से पहले एक कारण के रूप में उत्पन्न न हुए हों। यह आचरण वैवाहिक एकता के विघटन और इस प्रकार विवाह के विघटन को दर्शाता है। वास्तव में, कोई प्रारंभिक एकीकरण नहीं था जो बाद में विघटन का अनुमति देगा। यह तथ्य कि लगातार आरोप और मुकदमेबाजी की कार्यवाही हो रही है और जो क्रूरता के बराबर हो सकती है, इस अदालत द्वारा ध्यान में रखा गया एक पहलू है।

4.3. यह एक ऐसा मामला है जहाँ दोनों ही आधार– विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन और बाद के तथ्यों के कारण क्रूरता, अपीलार्थी के पक्ष में तलाक की डिक्री देने

के पक्ष में होगा। इस प्रकार, पक्षकारों के बीच विवाह को भंग करने वाली तलाक की डिक्री को न केवल विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के कारण, बल्कि विभिन्न चरणों में न्यायिक कार्यवाही के विचाराधीनता के दौरान प्रतिवादी के बाद के आचरण के आलोक में अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत क्रूरता के कारण भी पारित किया जाना चाहिए। तदनुसार, तलाक की डिक्री पारित की जाती है। विवाह भंग हो जाता है।

के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा (2013) 5 एससीसी 226: [2013] 2 एससीआर 126; नवीन कोहली बनाम। नीलू कोहली (2006) 4 एससीसी 558 [2006] 3 एससीआर 53; विश्वनाथ अग्रवाल बनाम. सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) एससीसी ऑनलाइन एससी 489; ए. जयचंद्र बनाम। अनील कौर, (2005) 2 एससीसी 22: [2004] 6 पूरक। एस. सी. आर. 599; मालती रवि वी. बी. वी. रवि (2014) 7 एस. सी. सी. 640: [2014] 6 एससीआर 218

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 29.06.2016]; आर. श्रीनिवासकु मार बनाम आर. शमिता (2019) 9 एससीसी 409: [2019] 12 एस. सी. सी. 657; हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर (2011) 5 एससीसी 234: [2011] 6 एससीआर 118; सुखेंदु दास वी. रीता मुखर्जी (2017) 9 एससीसी 632; परवीन मेहता वी. इंदरजीत मेहता (2002) 5 एस. सी. सी. 706 का उल्लेख किया गया है।

<u>विधि निर्णय</u>

(2017) 9 एस. सी. सी. 63	संदर्भित किया गया है -	पैरा 7
(2002) 5 एस. सी. सी. 706	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2019] 12 एससीआर 873	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
(2020) 14 एस. सी. सी. 657	संदर्भित किया गया है	पैरा 11
[2011] 6 एससीआर 118	संदर्भित किया गया है	पैरा 12
[2013] 2 एससीआर 126	भरोसा किया गया है	पैरा 15
[2006] 3 एससीआर 53	भरोसा किया गया है	पैरा 15
[2004] 6 पूरक। एससीआर 599	भरोसा किया गया है	पैरा 19
[2014] 6 एससीआर 218	भरोसा किया गया है	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील Nos. 4984 - 4985/2023

मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Rev.Aplc (एम. डी.) सं. 193 एवं 194/2018 सी. एम. एस. ए. (एम. डी.) Nos.42 और 2013 में निर्गत आदेश दिनांक 25.02.

2019 के विरूद्ध ––

सुश्री वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. गौतम, अधिवक्ता–अपीलार्थी के लिए

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थिबन, ए. एस. वैरा, आर0 सुधाकरण, सुश्री शालिनी मिश्रा, टी. हरि हरा सुधन, विकास जी0 आर – उत्तरदाता के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय **संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति** के द्वारा दिया गया।

1. अपीलार्थी–पति और प्रतिवादी–पत्नी ने हिंदू संस्कारों के अनुसार दिनांक 07.02.2002 को अपनी शादी को संपन्न करके वैवाहिक शादी के बंधन में बंधने का संकल्प लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि टेक-ऑफ स्टेज पर ही क्रैश लैंडिंग हुई थी! अपीलार्थी का दावा है कि उत्तरदाता का विचार था कि उसे अपनी सहमति दिए बिना अपीलार्थी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, और वह देर रात विवाह कक्ष से बाहर निकल गई और पुदुकोट्टई चली गई। अपीलार्थी के रिश्तेदारों द्वारा मनाने का प्रयास तथा अपीलार्थी के साथ रहने का उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। शादी कभी पूर्ण नहीं हुई। चूंकि विवाह अपनी स्थापना के बाद से सफल नहीं हुआ, इसलिए अपीलार्थी ने दिनांक 25.02.2002 को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (1) (i-a) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करते हुये नोटिस जारी किया। आश्चर्य की बात है कि प्रतिवादी ने इसके तुरंत बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की। प्रत्यर्थी का मामला था कि अपीलार्थी और उसके परिवार ने दहेज की मांग की और ऐसा करने में असमर्थ होने पर, अपीलार्थी के भाई उसे प्रत्यर्थी की कंपनी से दूर ले गए जिसके कारण विवाह पूर्ण होना असंभव हुआ। वह दावा करती है कि यह अपीलार्थी ही था जिसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत 05.03.2003 को एच. एम. ओ. पी. 24/2003 दायर किया, जिसे बाद में एच. एम. ओ. पी. 10/2005 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया। मुकदमे के दौरान लगभग 5 वर्षों के बाद 17.3.2008 पर विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक की डिक्री दी गई थी। अपीलार्थी ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और छः दिनों के बाद 23.3.2008 को दूसरी बार शादी कर ली। उत्तरदाता ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। यह उसका कथन है कि उसने सभी आवश्यक कागजात प्राप्त करने के बाद सीमा की अवधि के भीतर 1.7.2008 को अपील दायर की लेकिन अपील को 2011 की सी. एम. ए. संख्या 5 और 7 के रूप में पुनर्नामित किया गया। अपीलीय अदालत ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका को अनुमति देते हुए तलाक के फरमान को दरकिनार कर दिया। तीसरा दौर दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष हुआ और दिनांक 14.9.2018 के फैसले के द्वारा में, निचली अदालत द्वारा दिए गए तलाक के फरमान को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार, प्रत्येक न्यायिक प्रक्रिया में पांच साल लगे और मुकदमे में 15 साल बीत

गए। इस अवधि में दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी रही। इसने अन्य बातों के साथ–साथ अपीलार्थी की दूसरी शादी की स्थिति पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ.साथ इस आधार पर एक समीक्षा याचिका दायर किया कि विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक की डिक्री देने के लिए उच्च न्यायालय या विचारण न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कथित क्रूरता के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया और विवाह के अपरिवर्तनीय भंग के आधार पर तलाक की डिक्री पारित किया था। इस प्रकार, पुनरीक्षण याचिका को दिनांकित 25.2.2019 के विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिस पर वर्तमान अपील में सवाल उठाया गया है।

2. मध्यस्थता या पक्षों के बीच किसी भी स्वीकार्य समाधान के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास सफल नहीं हुआ। पक्षों के विद्वान वकील के अनुसार, प्रतिवादी किसी भी शर्त पर तलाक की डिक्री को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, भले ही दोनों पक्ष शिक्षित हैं और अब लगभग दो दशकों से अपना अलग जीवन जी रहे हैं। वास्तव में, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि वह न तो परेशान थी और न ही दूसरी शादी की स्थिति को प्रभावित करना चाहती थी; लेकिन एक ऐसे परिदृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी जहां उसका अपीलार्थी के साथ विवाह समाप्त हो गया, भले ही पक्षों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कोई भरण-पोषण का दावा नहीं किया जा रहा था। इन परिस्थितियों में, हमें न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य और उसके बाद के घटनाक्रमों पर विचार करने के लिए बाधित करता है।

3. हमने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच की है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक ऐसी शादी है जो सफल नहीं हुई है और ना हो सकती है।

यह केवल इस तथ्य के कारण नहीं है कि अपीलार्थी ने दूसरी बार शादी की है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि पक्षकार एक–दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं हैं। यह इस तथ्य के बावजूद कि प्रतिवादी यह दावा करता रहता है कि वह उसके साथ रहने के लिए हमेशा तैयार थी।

4. जहाँ तक विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है। विधि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टों में इस मुद्दे पर बहस की गई है। विधि आयोग द्वारा अपनी 59 वीं रिपोर्ट (1974) में संयोग से विवाह विच्छेद पर विचार किया गया था, लेकिन आयोग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की। इसके बाद अपनी 71 वीं रिपोर्ट (1978) में, विधि आयोग ने उन स्थितियों को पहचानने के लिए, तलाक के दोष सिद्धांत, से अलग हो गया जहां विवाह पूरी तरह से टूट गया है और सुलह की कोई संभावना नहीं है। किसी भी पक्ष को विवाह के इस तरह के टूटने के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी होना की आवश्कता नहीं

है। यह लंबे समय तक अलग रहने, व्यक्तित्वों के टकराव या जोड़े की असंगतता का परिणाम हो सकता है। जैसा कि विधि आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, इस तरह के विवाह *'केवल एक कवच है जिसमें से सार निकल गया है'।* ऐसी स्थितियों के लिए, आयोग ने सिफारिश की कि तलाक के अतिरिक्त आधार के रूप में 'विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने' का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन किया जाए। इस सिफारिश को विधि आयोग ने 2010 में अपनी 217 वीं रिपोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने के बाद दोहराया था। 2010 में सरकार ने विवाह अधिनियम संशोधन बिल 2010 प्रस्तुत किया था जिसमें विवाह के अपरिवर्तनीय भंग को तलाक का एक आधार के रूप में मानने की सिफारिश की गई थी। विभिन्न पक्षकारों से सुझाव मिलने के पश्चात् बिल को पुनः विवाह अधिनियम संशोधन बिल 2013 के रूप में प्रस्तुत किया गया परंतु बिल कभी पास नहीं हुआ।

5. उचित मामलों में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अनूठे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए तलाक को मंजूरी दी है। इस तरह के कियाविधि का पालन विभिन्न प्रकार के मामलों में किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए जहां पक्षों के बीच परस्पर आरोप हैं, मामले को शांत करने के लिए, पक्ष इन आरोपों को वापस ले लेते हैं और आपसी सहमति से, अदालत स्वयं तलाक देती है। ऐसे मामले भी हैं जहां पक्ष स्वीकार करते हैं कि विवाह का अपरितर्वनीय विघटन हो गया है और वे तलाक की डिक्री के लिए अनुरोध करते है। अधिक कठिन परिस्थितियों में से एक यह है कि अदालत की राय में, विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन हो गया है, लेकिन केवल एक पक्ष ही इसे स्वीकार करने और तलाक का कारण के लिये स्वीकार करने के लिए तैयार है, जबकि दूसरा पक्ष इसका विरोध करना चाहता है, भले ही इसका मतलब विवाह को जारी रखना हो।

6. वह आधार जिसे अक्सर इस तरह के विरोध के लिए लिया जाता है कि विधायी जनादेश की अरूचि के अलावा, यह है कि विवाह की संस्था को अलग-अलग देशों में पृथक–पृथक रूप से समझा जाता है। हिंदू कानून के तहत, यह धार्मिक है, चरित्र और दो लोगों का एक शाश्वत मिलन माना जाता है – हिन्दू समाज बड़े पैमाने पर तलाक को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि यहां विवाह को एक बड़े सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। या कम से कम] तलाक की डिक्री के बाद महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति बनाए रखना कहीं अधिक कठिन है। यह] विवाह टूटने की स्थिति में महिलाओं को आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देने में कानून की विफलता के कारण अपरिवर्तनीय विघटन को तलाक का आधार मानने में विधायिका की अनिच्छा का कारण बताया गया है-भले ही एक कारण हो सकता है। सभी व्यक्ति एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, और इस प्रकार एक समान विधायी अधिनियम होना मुश्किल हो जाता है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस तरह के रूकावट

के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।

7. विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक प्रतीत होने वाले सरल मिलन से अधिक है। एक सामाजिक संस्था के रूप में, सभी विवाहों के कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव होते हैं। विवाह के नियम और उसकी वैधता की अलग-अलग डिग्री जो इसे प्राप्त हो सकती है विवाह और तलाक कानूनों, प्रचलित सामाजिक मानदंडों और धार्मिक आदेशों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्यात्मक रूप से, विवाहों को सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के प्रसार के लिए एक स्थल के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे संबंध संबंधों की पहचान करने, यौन व्यवहार को विनियमित करना और संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करते हैं। परिवारों को समर्थन और मित्रता की पारस्परिक अपेक्षा के विचार पर व्यवस्थित किया जाता है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच अनुभव और स्वीकार किया जाना है। एक बार जब यह प्रेम टूट जाती है, तो परिणाम अत्यधिक विनाशकारी और कलंकित करने वाले हो सकते हैं। इस तरह के टूट का प्राथमिक प्रभाव, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महसूस किया जाता है, जिन्हें उसी स्तर के सामाजिक समायोजन और समर्थन की गारंटी देना मुश्किल हो सकता है जो उन्होंने शादी के दौरान प्राप्त किया था।

8. हम देखते हैं कि उपरोक्त अभ्यास ने अलग-अलग न्यायिक विचार प्रक्रियाएँ उत्पन्न की हैं जिनके परिणामस्वरूप टी0पी0 (C) No.1118/2014 [1] के द्वारा इस न्यायालय की संविधान पीठ को संदर्भित किया गया है। संदर्भ दो आधारों पर किया गया है - (ए) अधिनियम की धारा 13 बी के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा करने के लिए पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए क्या व्यापक मानदंड हो सकते हैं, और (बी) क्या अनुच्छेद 142 के तहत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग बिल्कुल भी किया जाना चाहिए या क्या इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

9. वास्तव में, यह उत्तरदाता के विद्वान वकील की प्रस्तुतियों का आधार रहा है। इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति के अभाव में विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के कारण तलाक की डिक्री देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का प्रयास करना का कड़ा विरोध किया है। हालाँकि, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि टी. पी. (सी) संख्या 1118/2014 में निर्दिष्ट प्रश्नों का प्रेषण विशिष्ट है। संदर्भ आपसी सहमति पर तलाक के मामलों तक सीमित है, और यह इस मुद्दे को उठाता है कि क्या अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अवधि अनिवार्य है। वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत दायर तलाक याचिका शामिल है, और किसी भी समय दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए तैयार नहीं रहे हैं। वर्तमान मामले में तलाक के लिए सहमति की कमी भी, एक पक्ष के बाद के आचरण से स्पष्ट है, जैसा कि इस फैसले में बाद में चर्चा की गई है। इसलिए हमारी राय में यह मामला संविधान पीठ को भेजे गए प्रश्नों के दायरे में नहीं आता है।

10. हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि दिनांकित 29.06.2016 के संदर्भ आदेश के बावजूद, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां इस अदालत ने ऐसी परिस्थितियों में तलाक देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

11. हम शुरूआत में आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता[2] तथा मुनीश कक्कड़ बनाम निधि कक्कंड[3] के दो न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख कर सकते है, जहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए दोनों पक्षों द्वारा सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।

12. आर. श्रीनिवास कुमार[4] के केस में, दोनों पक्ष 22 वर्षों से अलग रह रहे थे और शादी को बचाने के सभी प्रयास विफल हो गए थे। हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर[5] में इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई थी कि अदालतें एक विवाह को तब ही भंग कर सकती हैं जब विवाह को बचाना असंभव हो, इस संबंध में सभी प्रयास किए गए हैं, न्यायालय किसी भी संदेह से परे आश्वस्त है कि वास्तव में विवाह के बचे रहने की कोई संभावना नहीं है, और यह मरम्मत से परे टूट गया है। पैरा 5 से पैरा 8 में की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी हो सकता हैः

"5.2. नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, (2006) 4 एस. सी. सी. 558], इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" 74. ..... एक बार जब शादी वैवाहिक बंधन के सुधार के परे टूट जाती है, तो कानून के लिए इस तथ्य पर ध्यान न देना अवास्तविक होगा, साथ ही समाज और पक्षों के लिये नुकसान साबित हो सकता है। शादी काल्पनिक बन जाती है हालांकि एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित होती है। ऐसे मामलों में अलग करने से इनंकार करके कानून विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है इसके विपरीत, यह पार्टियों की भावनाएँ और सोच के लिये कम सम्मान दिखाता है।

******

85. निस्संदेह, यह न्यायालय और सभी का दायित्व है कि विवाह की स्थिति, जहाँ तक संभव हो, होनी चाहिए और जब तक संभव हो और जब भी संभव हो, बनाए रखा जाए, लेकिन जब शादी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है, उस स्थिति में, पार्टियों को हमेशा के लिए शादी से बंधे रखने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं जिसका वास्तव में अस्तित्व समाप्त हो गया है। .....

86. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पार्टियाँ 10 से अधिक वर्षों से अलग रह रही है, उपरोक्त आपराधिक और दीवानी कार्यवाही की गई है, अपीलार्थी के खिलाफ उत्तरदाता द्वारा शुरू किया गया और कुछ अपीलार्थी द्वारा इनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, स्पष्ट दिखाता है कि पक्षों के बीच वैवाहिक बंधन मरम्मत से परे समाप्त हो गई है। पक्षों बीच शादी केवल नाम के लिये बची है।

जब शादी उद्धार की उम्मीद से परे बर्बाद हो गई है तो सार्वजनिक हित और सभी संबंधित लोगों का हित इसमें निहित है कि इस तथ्य को मानते हुये शादी को विधितः निष्क्रिय घोषित किया जाए जो वस्तुतः पहले ही निष्क्रिय हो चुकी है।

(जोर दिया गया)

समर घोष [समर] बनाम जया घोष (2007) 4 एस. सी. सी. 511] में भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया था।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समान समूह में, सुखेंदु दास में [सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी,017) 9 एससीसी 632: (2017) 4 एस. सी. सी. (सी. वी.) 714] में इस न्यायालय ने निर्देश दिया है कि अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विघटन कर देना चाहिए।

7. अब जहाँ तक उत्तरदाता पत्नी की ओर से यह निवेदन है कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं है तब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त कथन में कोई दम नहीं है। यदि विवाह के दोनों पक्ष स्थायी रूप से अलग होने और/या तलाक के लिए सहमत हो, उस मामले में, निश्चित रूप से दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए सक्षम अदालत का रुख कर सकते हैं। केवल ऐसे मामले में जहां एक पक्ष सहमत नहीं होता है और सहमति नहीं देता है, केवल तभी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, इसके साथ ही पत्नी के हितों की भी आर्थिक रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है ताकि उसे भविष्य में आर्थिक रूप से अक्षम न होना पड़े और उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

8. इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में अनुच्छेद 142 के अपने अंतर्निहित का प्रयोग विवाह का विघटन के लिये किया है, जहां न्यायालय पाता है कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से समाप्त, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, भले ही मामले के तथ्य कानूनी आधार प्रदान नहीं करते हैं जिस पर तलाक दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी पति और प्रतिवादी पत्नी 22 से अधिक वर्षों से अलग रह रहे है और पक्षों के लिए एक साथ रहना संभव नहीं होगा। इसलिए, हमारी राय है कि प्रतिवादी पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए उसे एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने के लिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।"

13. मुनीश कक्कड़[6] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

"19. हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, आर. श्रीनिवास कुमार बनाम. आर. शमिता, जिनके लिए हम में से एक (संजय किशन कौल,

न्यायमूर्ति) एक पक्ष है, अलग–अलग न्यायिक घोषणाओं की जांच करने के बाद, विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दिया गया था। यह ध्यान दिया गया है कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जाता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में, इस संबंध में कानून के अभाव को देखते हुए, जहां यह पाया जाता है कि एक विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से समाप्त एवं बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है। वह एक ऐसा मामला था जिसमें पक्षकार पिछले बाईस (22) वर्षों से अलग रह रहे थे और फिर से मिलन असंभव पाया गया। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस न्यायालय ने इस पहलू पर समय.समय पर सावधानी भी बरती है। 1 (2019) 9 एस. सी. सी. 409 10 के अलावा यह ध्यान दिया है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है। यदि पक्ष सहमत हैं, तो वे आपसी सहमति से प्रस्ताव के लिए हमेशा निचली अदालत में वापस जा सकते हैं, या इस अदालत ने मामले को जल्दी से समाप्त करने के लिए कभी-कभी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसमें इस न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री दी गई है। कई मामलों में, जहां विवाह को मृत समान पाया जाता है, न्यायालय ने इसे समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है।

20. हम मानते हैं कि इस विवाह की निरंतरता न केवल निष्फल है बल्कि दोनों पक्षों के लिए भावनात्मक आघात और अशांति पैदा कर रहा है। यह न्यायालय में पक्षों की प्रतिक्रियाएँ से परिलक्षित होता है। यह जितनी जल्दी समाप्त होगा दोनों पक्षों के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमारी एकमात्र आशा है कि इन कार्यवाही के अंत के साथ, जो दोनों पक्षों के बीच तलाक के साथ समाप्त होती है, दोनों पक्षों अन्य कानूनी कार्यवाही जारी रखने की मूर्खता को देखेंगें और उन्हें समाप्त करने का प्रयास करेंगें।

21. संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय को पक्षों के बीच "पूर्ण न्याय" करने की एक अनूठी शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात, जहां कभी–कभी कानून या क़ानून कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता है, न्यायालय किसी विवाद को इस तरह से शांत करने के लिए खुद का विस्तार कर सकता है जो मामले के तथ्यों के अनुरूप हो। यही उद्देश्य है कि हम वर्तमान मामले में इस प्रावधान का सहारा लेना उचित समझते हैं।

22. हमारा विचार है कि इस विवाह का अंत दोनों पक्षों को एक–दूसरे से लड़ते हुए दो दशक बिताने के बाद जीवन में अपने तरीके से आगे जाने की अनुमति देगा, और हमेशा आशा हो सकती है कि इस उम्र में, एक बेहतर जीवन के लिए, अगर एक साथ नहीं, तो अलग से ही दोनों पक्षकार तैयार हो। इस प्रकार हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुये तलाक की डिक्री देते है और विवाह को भंग करते है।

उपरोक्त दो उदाहरणात्मक मामले हैं लेकिन अलग-अलग समयावधि में कई

और मामले हुए हैं।[7]

14. हम इस बात से अवगत हैं कि संविधान पीठ बड़े मुद्दे की जांच कर रही है, लेकिन यह संदर्भ पिछले पांच वर्षों से लंबित है। एक साथ रहना कोई अनिवार्य अभ्यास नहीं है। लेकिन शादी एक बंधन है और सिर्फ संदर्भित मामले के लंबित रहने के कारण ऐसे बंधन को जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है।

15. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती है कि अपीलार्थी क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार था। लेकिन कई बाद की परिस्थितियाँ जो वर्तमान मामले में उत्पन्न हुई हैं जिनके कारण इस पहलू की जांच आवश्यक हो गई है। इसलिए सवाल यह है कि क्या तलाक के लिए प्रारंभिक ट्रिगर के बाद प्रतिवादी का आचरण मानसिक क्रूरता के कारण है। अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, हम इस पहलू को जांचने का प्रयास करते हैं और इस संबंध में, हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हैंः

(क) उत्तरदाता ने अपीलार्थी के खिलाफ अदालतों में कई मामले दायर किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायिक मामलों में घोषित किया गया है कि बार–बार इस तरह का मामला दायर करना मानसिक क्रूरता के बराबर होती हैं।

(ख) उत्तरदाता ने डब्ल्यू. पी. No.20407/2013 दायर कर अपीलार्थी, जो सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा था, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए रिट दाखिल किया था। इस रिट याचिका को 6.6.2019 को खारिज कर दिया गया था।

(ग) उत्तरदाता ने दिनांक 3.6.2013 को एक आर. टी. आई. आवेदन के माध्यम से कॉलेज से कुछ जानकारी मांगी। । उसने दावा किया कि कॉलेज से प्राप्त जानकारी अपर्याप्त थी और एक अपील दायर की। उसने अपीलार्थी को स्टार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी किए गए पहचान पत्र और अपीलार्थी द्वारा तमिलनाडु आवास बोर्ड आदि के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक टुकड़ा खरीदने के लिए प्राप्त पूर्व अनुमति के अलावा उससे संबंधित सेवा रिकार्ड मांगे।

(घ) इसके बाद उत्तरदाता ने रिट याचिका संख्या 9516/2014 दायर की। यहां तक कि उसे पहले से दी गई जानकारी भी फिर से मांगी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांकित 3.3.2016 के फैसले में राय दी कि प्रतिवादी ने अनावश्यक प्रश्न उठाए थे। उसके प्रश्नों ने उसके पति के पुनर्विवाह के बारे में जानकारी मांगी या क्या वह किसी और के साथ रह रहा था, जिसे वह अच्छी तरह से जानती थी, और कार्यवाही को आर. टी. आई. अधिनियम की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया गया।

(ई) प्रतिवादी ने अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए कॉलेज के अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया। यह केवल उन महाविद्यालयों के अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महाविद्यालयी शिक्षा निदेशक और सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (तमिल नाडु) को भी आवेदन दिया। उसने दूसरी शादी के कारण अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग की, इस तथ्य के बावजूद कि

दूसरी शादी तलाक की डिक्री के तुरंत बाद हुई थी। इस प्रकार, उसने किसी तरह यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि अपीलार्थी अपनी नौकरी खो दे। ऐसी शिकायतें जिसमें जीवनसाथी को नौकरी से हटाने की मांग करने वाली हो इसे मानसिक क्रूरता के रूप में देखा गया है।[9]

16. पहली अपीलीय अदालत के समक्ष सफल होने पर, अपीलार्थी ने भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की, भले ही उसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थी, यहां तक कि उन व्यक्तियों पर भी आरोप लगाने की मांग की जिन्होंने दूसरी शादी में भाग लिया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.2.2019 के आदेश में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

17. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के कार्यस्थल पर भी और अधिक उत्पीड़न करने की घटनाएँ की, जिनमें छात्रों और प्रोफेसरों के सामने अपीलार्थी का अपमान करना भी शामिल है, जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है। कहा जाता है कि उसने अपीलार्थी को उसके सहकर्मी के सामने शारीरिक नुकसान की धमकी दी थी। साक्षी संख्या 3 की गवाही के अनुसार उसने अपीलार्थी के नियोक्ता से उसके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने की धमकी देते हुए शिकायत की। पहली अपीलीय अदालत ने किसी तरह इन घटनाओं को खारिज कर दिया क्योंकि शादी टूटने की धारणा पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थी। मुख्य बात यह है कि शादी अपनी शुरुआत से ही पूर्ण नहीं हुई है। जहाँ पार्टियाँ लंबे समय से एक साथ नहीं रह रही हों, वहाँ शायद ही कोई 'विवाह का टूट-फूट' हो सकता है। निर्विवाद रूप से दोनों पक्ष एक दिन भी एक साथ नहीं रहे।

18. तथ्यों की बात करें तो शादी पहले दिन से कभी शुरू नहीं हुई। शादी कभी पूरी नहीं हुई थी और दोनों पक्ष शादी की तारीख से लगभग 20 वर्षों से अलग रह रहे हैं। अपीलार्थी ने शादी के 6 साल बाद पुनर्विवाह किया, जिसमें से 5 साल निचली अदालत की कार्यवाही में बिताए गए। तलाक की डिक्री के तुरंत बाद पुर्नविवाह हुआ था। मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल रहे हैं।

19. जिस कानूनी स्थिति का हमने ऊपर उल्लेख किया हैए उसे ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी के ये निरंतर कार्य क्रूरता के बराबर होंगे, भले ही वे याचिका की स्थापना से पहले एक कारण के रूप में उत्पन्न नहीं हुए थे, जैसा कि विचारण न्यायालय द्वारा पाया गया था। यह आचरण वैवाहिक एकता के विघटन और इस प्रकार विवाह के विघटन को दर्शाता है।[10] वास्तव में, कोई प्रारंभिक एकीकरण नहीं था जो बाद में विघटन की अनुमति देगा। यह तथ्य कि लगातार आरोप और मुकदमेबाजी की कार्यवाही हो रही है और जो क्रूरता के बराबर हो सकती है, इस अदालत द्वारा ध्यान में रखा गया एक पहलू है। विवाह के शुरूआत से ही विवाह की पूर्णता ना हो और विचारण न्यायालय में 5 वर्ष बिताए जाने के बाद, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तलाक की डिक्री के तुरंत बाद, 6 दिनों के भीतर, विवाह की प्रारंभिक शुरुआत के 6 साल बाद भी, ऐसा आचरण है जो अपीलार्थी के खिलाफ ग्रहण किया जा सके।

20. उपरोक्त सभी तथ्यों के संदर्भ में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने का आधार और उसके बाद के तथ्यों के कारण, क्रूरता का आधार, अपीलार्थी के पक्ष में तलाक की डिक्री देने के पक्ष में होगा।

21. इस प्रकार, हमारा विचार है कि पक्षों के बीच विवाह को भंग करने वाली तलाक की डिक्री को न केवल विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के कारण, लेकिन विभिन्न स्थानों पर न्यायिक कार्यवाही के विभिन्न चरणों के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी के बाद के आचरण के आलोक में अधिनियम की धारा 13 (1) (i-a) के तहत क्रूरता के कारण भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुये पारित किया जाना चाहिए।

22. तदनुसार, तलाक की डिक्री पारित की जाती है। शादी को भंग / विघटित किया जाता है।

23. अपीलों को उपरोक्त कारणों सें स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगें।

बिभूति भूषण बोस अपीलों की स्वीकार किया गया

1-शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 29.06.2016];

2 (2019) 9 एससीसी 409।

3 (2020) 14 एससीसी 657।

4 उपरोक्त वर्णित।

5 (2011) 5 एससीसी 234।

6- उपरोक्त वर्णित।

7 -सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी (2017) 9 एस. सी. सी. 632; परवीन मेहता बनाम इंदरजीत मेहता (2002) 5 एस. सी. सी. 706।

8- के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा (2013) 5 एस. सी. सी. 226; नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 एससीसी 558; विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) एससीसी ऑनलाइन एससी 489।

9- के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए. दीपा (2013) 5 एस. सी. सी. 226।

10- ए. जयचंद्र बनाम अनील कौर, (2005) 2 एस. सी. सी. 22

1 1- मालती रवि बनाम बी. वी. रवि, (2014) 7 एससीसी 640

नाम – अशुतोष खेतान
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
पटना, बिहार।